

Papers to be laid on the Table of the House by Ministers/Members

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे, श्री अश्विनी वैष्णव जी ।

रेल मंत्री; सूचना और प्रसारण मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्विनी वैष्णव) : महोदय, रेल मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ ।

[Placed in Library, See No. LT 192/18/24]

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश चंद्र दुबे): महोदय, श्री जी. किशन रेड्डी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.48(अ) जो दिनांक 19 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा, उसमें उल्लिखित चार प्रत्यायित निजी अन्वेषण एजेंसियों को अधिसूचित किया गया है ।

(दो) खनिज (नीलामी) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 21 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 49(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 21 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 50(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 21 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 51(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) खनिज (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 21 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 52(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(छह) परमाणु खनिज छूट (संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 14 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 106(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत (दूसरा संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 20 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 118(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(आठ) सा.का.नि. 152(अ) जो दिनांक 1 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची में, उसमें उल्लिखित कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(नौ) का.आ.1359(अ) जो दिनांक 14 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनार्थ मेसर्स एमईसीओएन लिमिटेड को अधिसूचित किया गया है ।

(दस) का.आ.1872(अ) जो दिनांक 30 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनार्थ मेसर्स एनटीपीसी माईनिंग लिमिटेड को अधिसूचित किया गया है ।

(ग्यारह) सा.का.नि. 264(अ) जो दिनांक 30 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 18 जनवरी, 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 40(अ) को निरस्त किया गया है ।

(बारह) का.आ.2077(अ) जो दिनांक 22 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित 48.493 हेक्टेयर के एक क्षेत्र को मेसर्स एनएमडीसी लिमिटेड के पक्ष में आरक्षित किया गया है ।

(तेरह) का.आ.2379(अ) जो दिनांक 20 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मेसर्स क्रिटिकल मिनरल ट्रेकर्स और मेसर्स माइनिंग टेक कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड को प्रत्यायित निजी अंवेक्षण एजेंसियों के रूप में अधिसूचित किया गया है ।

[Placed in Library, See No. LT 193/18/24]

(2) अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 35 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.5411(अ) जो दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित 10277.10 हेक्टेयर (102.77 वर्ग किमी) के विस्तार तक के क्षेत्र को आरक्षित किया जाना अधिसूचित किया गया है ।

(दो) अपतट क्षेत्र (खनिज संसाधनों की विद्यमानता) नियम, 2024 जो दिनांक 6 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 315(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(3) उपर्युक्त (1) की मद सं. (एक) से (पांच) तथा (2) की मद सं. (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 194/18/24]

12.2½ hrs (Shrimati Sandhya Ray *in the Chair*)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION; MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (RAO INDERJIT SINGH):

Madam, I beg to lay on the Table:-

(i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Statistical Institute, Kolkata, for the year 2022-2023.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Statistical Institute, Kolkata, for the year 2022-2023, together with Audit Report thereon.

(iii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Statistical Institute, Kolkata, for the year 2022-2023.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 195/18/24]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह) : महोदया, मैं अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षार्थियों की अंतिम परीक्षा) संशोधन विनियम, 2024 जो 5 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 242(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

[Placed in Library, See No. LT 196/18/24]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Output Outcome Monitoring Framework (Hindi and English versions) of the Ministry of New and Renewable Energy for the year 2024-25.

[Placed in Library, See No. LT 197/18/24]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (DR. CHANDRA SEKHAR PEMMASANI): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Use of Low Power Short Range Radio Frequency Devices (Exemption from Licensing Requirement) Amendment Rules, 2024 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 271(E) in Gazette of India dated 10th May, 2024 issued under sub-section (5) of Section 7 of the Indian

Telegraph Act, 1885 and sub-section (4) of Section 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933.

[Placed in Library, See No. LT 198/18/24]

(2) A copy of the Output-Outcome Monitoring Framework (Hindi and English versions) of the Department of Telecommunications, Ministry of Communications for the year 2024-2025.

[Placed in Library, See No. LT 199/18/24]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI RAVNEET SINGH): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Land Acquisition (Special Railway Projects) (Amendment) Rules, 2024 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.341(E) in Gazette of India dated 21st June, 2024, under Section 199 of the Railways Act, 1989.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 200/18/24]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया) : सभापति महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

(1) जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 1 की उप-धारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ.1930(अ) जो दिनांक 7 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के उपबंधों, जहां तक वे खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के उसमें उल्लिखित संशोधनों से संबंधित हैं, की प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में 7 मई, 2024 को नियत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 201/18/24]

(2) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 55 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.1355(अ) जो दिनांक 14 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 8 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ.371(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ.2236(अ) जो दिनांक 11 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 8 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ.371(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[Placed in Library, See No. LT 202/18/24]

(3) भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 की धारा 52 के अंतर्गत भांडागारण (विकास और विनियमन), भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2024, जो दिनांक 5 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.311(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 203/18/24]

12.04 hrs

-